न्यायालय सहायक कलेक्टर पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी – अवि गर्ग आरएएस

मुकदमा संख्या :– 50 / 2017

अनुवान मुकदमा –

भाकरलाल पुत्र नत्थुराम, जाति मेघवाल, साकिन गांव पडितावाली, तहसील पीलीबंगा, जिला हनूमानगढ।

प्रार्थी–

बनाम

1. मुखराम पुत्र श्री जेठाराम, जाति जाट साकिन गांव पडितावाली, तहसील पीलीबंगा , जिला हनूमानगढ, राज.

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तह. पीलीबंगा जिला हनूमानगढ।

3.हरीकृश्ण पुत्र उदयपाल
04. रविदत्त पुत्र मुरलीधर
05. हनुमान पुत्र भागीरथ
06. देवीलाल पुत्र बेगाराम

जाति ब्राम्हण साकिन पडितावाली तह. पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

07. पृथ्वीराज पुत्र कानाराम जाति जाट साकिन पडितावाली तह. पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

08. भान्ति देवी पत्नि मुरलीधर जाति ब्राम्हण साकिन पडितावाली तह. पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थीगण –

निर्णय दिनांक 01.11.2017

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

प्रार्थना पत्र प्रार्थी सक्षेंप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम से चक 38 एन.डी.आर.(टी.पी) के खाता सं. 24 / 29 के पं. नं. 85 / 345(18) किं. नं. 16 ता 20 की 1.265 हैक. कृशी भूमि अनकमाण्ड दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल फोटोकॉपी जमाबन्दी चालू चक 38 एन.डी.आर.(टी.पी) सलग्नं वाद पत्र है। तथा वाके चक 38 एन.डी.आर.(टी.पी) क`पं. नं. 85 / 345(18) किं. नं. 21 ता 25 की 1.114 हैक. कृशी भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। फोटोकॉपी नकल जमाबन्दी चालू चक 38 एन.डी.आर.(टी.पी) संलग्न प्रार्थना पत्र है तथा अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज उक्त किं. नं. 21 ता 25 की भोश कृशी भूमि रास्ता आम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तथा चक 38 एन.डी.आर.(टी.पी)के खाता सं. 24 / 29 के पं. नं. 85 / 345(18) किं. नं. 16 ता 20 की 1.265 हैक. कृशी भूमि के चिपता में इसी मुरब्बा के किं. नं. 21 ता 25 में उत्तर साईड में पि चम से पुर्व की लम्बाई स्वीकृत ुद्वा व नकल पक्का रास्ता मुताबिक 2–2 बिस्वा चौडा आम रास्ता मौका पर चालू है। प्रार्थी को उक्त 1.265 हैक. रकबा में आने–जाने हेतु एक मात्र यही रास्ता है। फोटोकॉपी नकल नक ाा दिंनाक 09.01.2017 प्रार्थना पत्र है तथा अप्रार्थी सं. 1 तरमीम ुद्वा उत्तर साईड में चालु रास्ता आम की पं. नं. 85 / 345 के किं. नं. 21 तो 25 के 2–2 बिस्वा को जबरदस्ती उत्तर साईड से बन्द करके दक्षिणर साईड में चालु करने को आमादा है। यदि अप्रार्थी सं. 1 अपने मकसद में कामयाब हो गया है। तो प्रार्थी का रास्ता अपने रकबे में आने जाने को बन्द हो जायेगा तथा खडी फसल चौपट हो जायेगी । प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, प्रथम दृश्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन पुर्ण रूप से प्रार्थी के पक्ष में है।, इसलिए प्रार्थी अस्थाई निशेधाज्ञा ता फैसला वाद विरूद्व अप्रार्थी सं. 1 आ य की जारी करवाने का अधिकार है कि वह वाके चक 38 एन डी आर. (टी.पी) के खाता सं. 24 / 29 के पं. न.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

85/345(18) कि . नं. 21 ता 25 में स्वीकृत ुद्वा रास्ता उत्तर साईड में चल रहे रास्ता को बन्द करने से ममनू व बाज रहें तथा रास्ता के मौका की स्थिती की यथास्थिती कायब रखे। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थी स्वीकार किया जाकर अस्थाई निशेधाज्ञा ता फैसला वाद इस आ य की जारी की जावें कि अप्रार्थीगण वाद के अन्तिम निर्णय तक तहसील पीलीबंगा चक 38 एनडीआर (टी.पी) के खाता सं. 24/29 के पं. नं. 85/345 (18) किं. नं. 21 ता 25 में स्वीकृत द्वा उत्तर साईड में बचल रहें रास्ता को बन्द करने से ममनू व बाज रहें तथा रास्ता के मौका की स्थिती की यथास्थिती कायम रखें साक्ष्य में फोटोकॉपी नकल जमाबन्दी चालू चक 38 एनडीआर (टी.पी) फोटोकापी नकल जमाबन्दी चालू चक 38 एनडीआर (टी.पी)खााता सं. 17/03 फोटोकॉपी नकल नक ा चक 38 एनडीआर(टी.पी.) चित्रप्रति नामान्तरण चक 38 एनडीआर (ट.पी) चित्र प्रति रिपोर्ट पटवारी हल्का पडितावाली , नकल छायाप्रति रजिस्ट्री चक नं. 38 एनडीआर (टी. पी) पं. नं. 85/345(18) कि नं. 16 भांकर पुत्र नत्थू पडितावाली बहक बसपाल पुत्र खियाराम जाति मेघवाल साकिन पीलीबंगा गांव, दावा प्रति भांकरलाल पुत्र मुखराम, नकल फर्द अहकाम आर.आर.ए. हनुमानगढ, प्रस्तुत किये गयें

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

......2......

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया अप्रार्थी सं. 1 को नोटिस विधिवक्त तामिल होने के उपरात भी उपस्थित नही आया अतः अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा अप्रार्थी सं. 3 ता 8 द्वारा जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव पडितावाली से 40 एनडीआर को जाने वाली सड़क से हम प्रार्थीगण की कृशी भूमि एंव गांव में आने जाने के लिए चक 38 एनडीआर–टीपी के पं. नं. 84/345(47) के किं. नं. 21 ता 25, के पं. नं. 85/345 (18) कि . नं. 21 ता 25 के प. नं. 86/345 (19) के किं. नं. 21 ता 25 पं. नं. 87/345 (20) के किं. नं. 21 ता 25 प्रत्येक में 0.025 हैक. रास्ता है। जो वर्शों से इन किं. नं. 21 ता 25 में दक्षिण दि ाा में रास्ता है। तथा उक्त प्र ानगत रास्ता समान्तर पत्थरलाईन पर है। मौका पर भी वर्शो से यह रास्ता उक्त पं. नं. के किं. नं. 21 ता 25 के दक्षिण दि ाा में पत्थर लाईन पर चल रहा है। इस रास्ता को समान्तर सिधा एंव पत्थर लाईन पर करने के लिए चक 38 एनडीआर–टीपी के खातेदार का तकार सोहनलाल , भुपचन्द, भयोपत, पिसरान का ाीराम ने पं. नं. 85/345 के किं. नं. 16 ता 20 प्रत्येक किं. नं. में 0.025 हैक. रास्ता को निरस्त करवाकर किं. नं. 21 ता 25 प्रत्येक में 0.025 हैक. रास्ता स्वीकृत करवाया था। चित्रप्रति इन्तकाल दिंनाक 01.09.2014 चक 38 एनडीआर –टीपी सलग्ंन जबाब प्रार्थना पत्र है। तथा प्र नगत भुमि गैर मुमकिन भूमि है जो राजकीय भूमि होने के कारण प्रार्थी को इस भूमि पर कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी धारा 188 रा0 का0 अधि0 का दावा पे ा नही कर सकता। यह खातेदार व्यकित पे ा कर सकता है। जबकी प्रार्थी किं. नं. 21 ताा 25 में गैर मुमकिन रास्ता का खातेदार नही है। प्रार्थी की भूमि में आने जाने के लिए पं. नं. 84/345(18) किं. नं. 25 में उत्तर से दक्षिण रास्ता स्वीकृत है जो प्रार्थी के किं. नं. 16 तक जाता है। प्र नगत रास्ता पत्थर लाईन पर ही चल सकता है। और वर्तमान में ही पत्थर लाईन पर चल रहा है। पत्थर लाईन को छोडकर उत्तर दि ाा में यह रास्ता कभी भी चालू नही रहा है। कोई भी आम एंव

सार्वजनिक रास्ता हमे   ाा पत्थर लाईन पर ही स्वीकृत होता है एंव पत्थर लाईन ही समान्तर चालू होता है। इसी प्रकार राजस्व नक   ाा एंव रजिस्टर में अकंन कर द   ााया जाता है। कोई भी आम एंव सार्वजनिक रास्ता टेढ़ा एंव पत्थर लाईन को छोडकर मुरब्बा के बिच में से नही होता है। प्र   नगत रास्ता भी वर्शों से समान्तर पत्थर लाईन पर चल रहा है। जो किं. नं. 21 ता 25 के दक्षिण दि   ाा में है। उक्ता रास्ता पं. नं. 84/345, 86/345, 87/345 के किं. नं. 21 ता 25 के दक्षिण दि   ाा में नक   ो में द   ााया गया है। परन्तु उक्त मुरब्बा नं. के बिच का पत्थर नं. 85/345 में यह रास्ता पत्थर लाईन पर नही द   ााया गया है। जबकी चारो पत्थरो नं. में यह रास्ता सिधा पत्थर नक   ो में द   ााया जाना चाहिए था अप्रार्थीगण ने इस विवादित रास्ताकी मोका जाचं हेतु श्रीमान तहसीलदार पीलीबंगा को प्रार्थना पत्र पे   ा किया था जिस प्रार्थना पत्र पर श्रीमान तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा पटवारी हल्का से रिपोर्ट मांगी गई। पटवारी हल्का पडितावाली द्वारा मौका पर जाकर जांच कर दिंनाक 28.06.2017 को श्रीमान तहसीलदार पीलीबंगा के रिपोर्ट पे   ा की कि पं. नं. 84/345, 85/345, 86/345, 87/345 के किं. नं. 21 ता 25 में मोका पर रास्ता दक्षिण दि   ाा में पत्थर लाईन के साथ साथ चल रहा है। उक्त रास्ते से आवागमन हो रहा है। प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति नही हो रही है। प्रथम दृश्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में न होकर मिन अप्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थी किसी प्रकार की अस्थाई निशेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नही है। चित्रप्रति नजरी नक   ाा, प्रमाणित चित्रप्रतिलिपि रिपोर्ट पटवारी हल्का सलग्न जबाब प्रार्थना पत्र है।

बहस सूनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने काद निवेदन किया तथा वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए प्रार्थना पत्र खारीज करने का निवेदन किया बहस पर मनन किया गया वाद ग्रस्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड है।तथा मोके पर चालू है। प्रर्थमदृस्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नही है। व सुविधा का सतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नही है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र साबित करने में नाकामयाब रहा अतः प्रार्थना पत्र खारीज कर न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निशेधाज्ञा दिनांक 09.06.2017 निरस्त की जाती है। निर्णय सूनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा